

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-111)/2018/

दिनांक :

समस्त प्रधानाचार्य,

निजी जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र,

राजस्थान

विषय : जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018-19 में राजकीय कोटे की एवं फैंडरेशन द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ : इस निदेशालय के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक : प्रशि./जनप्र/...../ 2018 / 1467 दिनांक 03.08.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित बैठक कार्यवाही विवरण में वर्णितानुसार जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु आयोजित राजकीय कोटे की सीटों एवं फैंडरेशन द्वारा आवंटित किये गये जिन छात्रों द्वारा आपकी संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत की गई, दोनों की पृथक-पृथक सूची काउंसलिंग बोर्ड को भेजी जानी थी किन्तु आप द्वारा मात्र राजकीय कोटे के तहत आवंटित किये गये छात्रों की सूची ही भिजवायी गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त फैंडरेशन के द्वारा आपकी संस्था को आवंटित छात्रों में से कितने छात्रों ने प्रवेश हेतु उपस्थिति प्रस्तुत की है, उनकी मय वरियता विवरण सहित सूचना तीन दिवस में उपलब्ध करावे अन्यथा निर्धारित समय के पश्चात् यह माना जावेगा कि फैंडरेशन द्वारा आपकी संस्था को एक भी अभ्यर्थी आवंटित नहीं हुआ है। इसके उपरान्त फैंडरेशन द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची प्रशिक्षण सत्र 2018-19 के लिए मान्य नहीं होगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशि0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0, जयपुर

दिनांक : 14/11/18

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-111)/2018/1702

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे। (संलग्न - एक)

संयुक्त निदेशक (प्रशि0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-111)/2018/1702 दिनांक : 14/11/18

समस्त प्रधानाचार्य,
निजी जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र,
राजस्थान

विषय : जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018-19 में राजकीय कोटे की एवं फ़ैडरेशन द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ : इस निदेशालय के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक : प्रशि./जनप्र/...../ 2018 / 1467 दिनांक 03.08.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित बैठक कार्यवाही विवरण में वर्णितानुसार जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु आयोजित राजकीय कोटे की सीटों एवं फ़ैडरेशन द्वारा आवंटित किये गये जिन छात्रों द्वारा आपकी संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत की गई, दोनों की पृथक-पृथक सूची काउंसलिंग बोर्ड को भेजी जानी थी किन्तु आप द्वारा मात्र राजकीय कोटे के तहत आवंटित किये गये छात्रों की सूची ही भिजवायी गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त फ़ैडरेशन के द्वारा आपकी संस्था को आवंटित छात्रों में से कितने छात्रों ने प्रवेश हेतु उपस्थिति प्रस्तुत की है, उनकी मय वरियता विवरण सहित सूचना तीन दिवस में उपलब्ध करावे अन्यथा निर्धारित समय के पश्चात् यह माना जावेगा कि फ़ैडरेशन द्वारा आपकी संस्था को एक भी अभ्यर्थी आवंटित नहीं हुआ है। इसके उपरान्त फ़ैडरेशन द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची प्रशिक्षण सत्र 2018-19 के लिए मान्य नहीं होगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशि०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज०, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-111)/2018/

दिनांक :

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

संयुक्त निदेशक (प्रशि०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज०, जयपुर